न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द आर.ए.एस..

...ल प्र.सं. : 3/2020
...पीएमएस : 2020/00022
...णाराम उर्फ नारायणराम पुत्र श्री नानकराम जाति मेघवाल साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

बनाम –:प्रार्थी

1. ...गुड्डी पत्नी श्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. ...चन्दादेवी पुत्री श्री रूपराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. ...नोजादेवी पुत्री श्री लेखराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. पेम्पीदेवी पुत्री श्री लेखराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. प्रवीनकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. प्रियका पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
7. बाधुदेवी पुत्री श्री रूपराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
8. मैनादेवी पुत्री श्री लेखराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
9. महावीर पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
10. राजकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
11. श्योचन्द्र पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
12. सेमादेवी पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 06.02.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री भूपसिंह मेघवाल प्रार्थी अधि.।
2. एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण।

दिनांक 26.05.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान का[illegible]नियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक [illegible] तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. [illegible] पं.नं. 219/301 [illegible] क.नं. 4–7–14–17 प्रत्येक में 0.253 है. [illegible] 0.302 [illegible] 25/22 में 0.051 है. कुल तादादी 1.265 है. नहरी बारानी भूमि खातेदारी [illegible] जो राजसव रिकार्ड है जो भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज है। इसी चक 45 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 19 पं.नं. 218/302 में 2.288 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 10 पं.नं. 219/301 में 3.721 है. नहरी भूमि इस प्रकार कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

तादादी 6.009 है. नहरी भूमि प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की है जिस नहरी भूमि में से प्रार्थी की जोत में आवागमन के लिए यानि मु.नं. 10 पं.नं. 219/301 के कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में से 0.013 व कि.नं. 24 में 8 इन्टू 8 फुट कॉर्नर में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे क्योंकि यही रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधाजनक एवं सरल है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक एवं सरल तथा सीधा रास्ता नहीं है तथा इस स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता से प्रार्थी अपनी जोत में आसानी से आ जा सकेगा तथा अपने रकबा में आवागमन के लिए सुविधा होगी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि 45 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 19 पं.नं. 218/302 में 2.288 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 10 पं.नं. 219/301 में 3.721 है. नहरी भूमि इस प्रकार कुल तादादी 6.009 है. नहरी भूमि अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की है जिस नहरी भूमि में से प्रार्थी की जोत में आवागमन के लिए यानि मु.नं. 10 पं.नं. 219/301 के कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में से 0.013 व कि.नं. 24 में 8 इन्टू 8 फुट कॉर्नर में रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. दर के अनुसार कीमत अदा करने के लिए सहमत है, जिस रास्ता की प्रार्थी को पूर्णतया आवश्यकता है, माननीय न्यायालय कोई राशि जमा करवाने का आदेश देगा तो प्रार्थी जमा न्यायालय करवा देगा।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 12 की तरफ से कोइ अधिवक्ता हाजिर नहीं आया। इस सूरत में अप्रार्थी सं. 1 ता 12 की तरफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/744 दिनांक 15.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 45 पीएस के पं.नं. 219/301 मु.नं. 10 के कि.नं. 1 ता 3–8ता 13–18 ता 23–24/2 कुल रकबा 3.721 है. नहरी गुड्डीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट साकिन बगीचा बगैरा के नाम से दर्ज रिकार्ड है व इसी चक 45 पीएस के पं.नं. 219/301 मु.नं. 10 के कि.नं. 4–7–14–17–24/1–25/2 रकबा 1.265है. नहरी मय बारानी भूमि निराणाराम उर्फ नारायणराम पुत्र नानकराम जाति मेघवाल साकिन ठाकरी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है व रकबा रहन है। प्रार्थी निराणाराम उर्फ नारायणराम द्वारा अपने खेत में मु.नं. 10 के कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.013 है. कि. नं. 24 में 0.003 है. कुल 0.042 है. रास्ते की मांग की है जिसके संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अत्यावश्यकता की श्रेणी में आती है। क्योकिं प्रार्थी को खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है।
2. प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग सुविधा के लिए नहीं है।
3. नवीन मार्ग स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता व वैकल्पिक रास्ता दोनों ही निकटतम मार्ग हैं
4. प्रार्थी को मांग अनुसार चक 45 पीएस मु.नं. 10 कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.013 है. व कि.नं. 24 में 0.003 है. दक्षिणी पासा में रास्ते की मांग की गई है। जो उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

5. इसके अलावा इसी चक के मु.नं. 10 के कि.नं. 1 ता 3 प्रत्येक 0.013 है. उतरी पासा रास्ता भी दिया सकता है।

4. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौराया तथा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। प्रार्थी को मांग अनुसार चक 45 पीएस मु.नं. 10 कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.013 है. व कि.नं. 24 में 0.003 है. दक्षिणी पासा में रास्ते की मांग की गई है। जो उचित प्रतीत होती है। तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता की श्रेणी में आता है जिसे स्वीकार किया जाना उचित है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 45 पीएस मु.नं. 10 कि.नं. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.013 है. व कि.नं. 24 में 0.003 है. कुल 0.042 है. दक्षिणी पासा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी से वर्तमान डी.एल.सी. दर को दुगुनी राशि जमा करवाये व अप्रार्थीगण को भुगतान करवाये। इसके उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष [illegible] (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:05:16 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा [illegible] सुनाया गया।

{सुभाष च[illegible] (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner